

संक्षिप्त विज्ञप्ति सूचना

विज्ञप्ति क्रमांक/ 32

नर्मदापुरम दिनांक 27.03.2026


कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमण्डल नर्मदापुरम मध्यप्रदेश

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि नर्मदापुरम सामान्य वनमण्डल में जप्तशुदा वाहन विभिन्न स्थानों पर (जहा है, जैसा है) के विक्रय हेतु मुहरबंद निविदा दिनांक 28.04.2026 को वनमण्डल कार्यालय नर्मदापुरम में आमंत्रित की जाती है, जिसमें प्रथम चक्र की निविदा में कोई भी वाहन अवरोध मूल्य से अधिक नहीं पाये जाने पर द्वितीय चरण दिनांक 29.04.2026 को निविदा आमंत्रित की जाती है। द्वितीय चरण में निविदा प्राप्त नहीं होने पर तृतीय चरण दिनांक 30.04.2026 को बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त निविदाये उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उसी दिनांक को दोपहर 04:00 बजे अपराह्न में खोली जायेगी।

निविदाकारों को निविदा प्रस्तुती के साथ जमानत के रूप में राशि 2000/- (दो हजार रुपये टू व्हीलर्स के लिए) एवं (थ्री एवं फोर व्हीलर्स) के लिए राशि 5000/- (पांच हजार रुपये का) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीकृत बैंक का अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पदनाम (वनमण्डलाधिकारी नर्मदापुरम) के पक्ष में पृथक-पृथक वाहनवार प्रस्तुत करना होगा।

सफल निविदाकार को वाहन क्रय की राशि स्वीकृत आदेश जारी होने के 15 दिवस के अन्दर पूर्ण राशि जमा करना होगा। अन्यथा जमानत की राशि राजसात करते हुए वाहन क्रय की स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी। परिवहन विभाग में वाहन को पंजीकृत कराने का दायित्व क्रेता का होगा। फर्म द्वारा निविदा के साथ अपनी फर्म का अथवा स्वयं का पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. नंबर देना अनिवार्य है, छायाप्रति संलग्न किया जावे। वाहनों की दर संलग्न आवेदन में दर्शाना होगा। जी.एस.टी. 18 प्रतिशत एवं आयकर की राशि 2.5 प्रतिशत टैक्स नियमानुसार फर्म द्वारा देय होगा। निविदा फार्म प्रत्येक वाहनों के लिए पृथक-पृथक राशि 100/- (सौ रुपये) जमा करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा दर मान्य अथवा अमान् करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता का होगा, एवं विवाद की स्थिति में नर्मदापुरम ज्यूडिशियल क्षेत्र होगा। वाहनों की सूची एवं अन्य शर्त वनमण्डल कार्यालय नर्मदापुरम में कार्यालयीन समय पर सूचना पटल पर देखी जा सकती है। जिसमें मोटर साईकिल 43, पिकअप एवं टेम्पो ट्रेक्स 13, ट्रेक्टर टॉली 08 एवं ट्रक 03 नग जो वनमंडल में ही भिन्न-भिन्न स्थानों पर रखे हुए हैं।


वनमंडलाधिकारी
वनमंडल सामान्य नर्मदापुरम